<u>ग्राम विकास योजना बागचा</u>

<u>परिचय</u>

ग्राम बागचा कुनो राष्ट्रिय उद्यान श्योपुर के आरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 668 में स्थित है। इस ग्राम के विस्थापन एवं पुनर्वास का निर्णय वर्ष 2017 में ग्रामीणों की आम सहमति से किया गया। ग्रामीणों द्वारा श्योपुर वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 192 एवं 193 को पुनर्वास के लिए चयनित किया गया। यह सहमति ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात पुनर्वास हेतु कक्ष क्रमांक R F 192 एवं 193 के 421 हेक्टेयर वन भूमि प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर भारत शासन को भेजा गया। ग्रामीणों द्वारा शेओपुर वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 192 एवं 193 को पुनर्वास के लिए चयनित किया गया यह सहमति ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात पुनर्वास हेतु कक्ष क्रमांक R F 192 एवं 193 के 421 हेक्टेयर वन भूमि प्राप्त करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर भारत शासन को भेजा गया।वन विभाग के प्रस्ताव के परिपेक्ष में कलेक्टर श्योपुर के पत्र क्रमांक रीडर-2कूनो/विस्थापन /2019/8444 दिनांक17/10/2019 के द्वारा समिति गठित की गई। कलेक्टर श्योपुर के संशोधित आदेश के पत्र क्रमांक रीडर-2कूनो/विस्थापन /2019/9716 दिनांक 13/11/2019 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पात्रता निर्धारण हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया। इस पत्र में प्राधिकृत अधिकारी को स्वयं के स्तर से समिति गठित करने हेतु अधिकृत किया गया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा उनके पत्र क्रमांक/रीडर1 /2019/1033 दिनांक 23/11/2019 को गांव के हितग्राहियों की व्यक्तियों की सूची का परीक्षण करने हेतु दल गठित किये गए।पात्रता निर्धारण के दौरान समस्त ग्राम वासियों को मौके पर बुलाया गया। उन्हें मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2010 एवं बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को पढ़कर विस्तार से सुनाया गया।दिशा निर्देशों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के अथवा विकलांग ,अनाथ वर्ग के हितग्राहियों का विचारण/परीक्षण किया गया।इस कार्य के परीक्षण में सचिव, सरपंच , संबंधित क्षेत्र के पटवारी, वनरक्षक , उप वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी एवं क्षेत्र के उप वन मंडल अधिकारी भी उपस्थित थे।इस सूची में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हितग्राहियों को पात्र किया गया। कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक29/07/2020 को व्यक्तियों की सूची अनुमोदित की गई जिसमें 60 परिवार अपात्र/उम्र सत्यापन शेष थे। कुल पात्र हितग्राहियों में से 29 हितग्राहियों द्वारा विकल्प 1 एवं 162 हितग्राहियों द्वारा विकल्प 2 में विस्थापन हेतु सहमति दी गई। इस प्रकार ग्राम बागचा के हितग्राहियों को विकल्प 1 व 2 के अंतर्गत 162 विकल्प 2 एवं 29 विकल्प 1 में शामिल कर ग्राम विकास

योजना तैयार की गई ।विस्थापन कार्य हेतु ग्राम बागचा को श्योपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 192 एवं 193 किए जाने हेतु वन संरक्षण नियम के तहत प्रस्ताव भेजा गया है एवं राज्य शासन की अनुमति का अनुमति की प्रतीक्षा है ।इस ग्राम विकास योजना में 178 पात्र परिवारों के अंतर्गत यूनिट को पात्र मानते हुए 28 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।

<u>विकल्प 1 (OPTION 1)</u>

विकल्प 1a (राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पुनर्वास से संबंधित मार्गदर्शिका दिनांक 26 मार्च 2011 के अनुसार) हेतु 178 परिवारों द्वारा सहमति दी गई है। अतः राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग को किसी प्रकार की पुनर्वास स्थापना प्रक्रिया में शामिल ना करते हुए प्रति परिवार को पूरे पैकेज की राशि रुपए 1500000 प्रति यूनिट का भुगतान किया जावेगा । इस राशि में उनकी निजी अचल संपत्ति की कीमत भी सम्मिलित रहेगी । राशि लेकर समर्थित हितग्राही स्वयं की व्यवस्था से अन्यत्र बसने को तैयार हैं। इस विकल्प में हितग्राही अपनी स्वेच्छा से कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर के बाहर कहीं भी बस सकेंगे। इस हेतु कूनो राष्ट्रीय उद्यान द्वारा रुपए 26 करोड़ की राशि जिला कलेक्टर श्योपुर के खाते में जमा की गई है। इस राशि से प्रत्येक हितग्राही के नाम से दो खाते राष्ट्रीय कृत बैंक में खोले जाएंगे -पहला खाता पति /पत्नी के नाम से संयुक्त बचत खाता है जिसमें रुपए तीन लाख प्रति परिवार जमा किए जाना है, दूसरा खाता जिला कलेक्टर एवं हितग्राही के नाम से संयुक्त बचत खाता C L T D खाता होगा जिसमें प्रति परिवार 1200000 जमा किए जाएंगे ।इस खाते की ब्याज की राशि हितग्राही के संयुक्त खाते में प्रतिमाह हस्तांतरित होगी। हितग्राही द्वारा अचल संपत्ति या कृषि भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने पर इसका सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा एवं व्यक्ति कहीं भी कृषि भूमि अथवा आवासीय मकान खरीदते हैं या स्वयं बनाते हैं तो कलेक्टर श्योपुर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर C L T D खाते से राशि आहरण की अनुमति कलेक्टर श्योपुर द्वारा संबंधित हितग्राही को दी जावेगी एवं भुगतान संबंधित विक्रेता को डिमांड ड्राफ्ट या अकाउंट पर धनादेश द्वारा किया जाएगा।

ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पुनर्वास से संबंधित मार्गदर्शिका दिनांक 26 मार्च 2011 के विकल्प 1"अ" के अनुसार 29 व्यक्तियों को विस्थापन किए जाने का प्रावधान है।

<u>विकल्प दो(OPTION 2)</u>

इस विकल्प में 162 यूनिट हेतु ₹243000000 का प्रावधान किया गया है | विकल्प दो के अंतर्गत **ग्राम का पुनर्वास वर्ष 2021-22 से अधिकतम 1 वर्ष में किया जाना आवश्यक है। इस पुनर्वास हेतु ग्राम बागचा की विकास योजना तैयार की गई है।**

ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के विकल्प 2 (OPTION II) के अनुसार 162 व्यक्तियों को भूमि प्रदाय कर ग्राम की स्थापना का प्रावधान है ।सभी हितग्राहियों के सहमत होने पर इस विकास योजना का उद्भव हुआ है।

ग्राम बागचा का विस्थापन एवं पुनर्वास निम्न तथ्यों को पूर्ण करते हुए किया जा रहा है :-

1. **वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 जिसमें आदिवासियों को काबिज भूमि का हक दिए जाने के प्रावधानों का पालन किया गया है तथा वन अधिकारों के लिए प्रदत्त अधिकार पत्रों को विस्थापन हेतु आधार में लिया गया है तथा <u>राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण</u> के दिशा निर्देशों से एवं मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति 2010 के से ग्रामीणों को अवगत कराया गया तथा 15 लाख प्रति वयस्क (18 वर्ष की आयु) <u>पैकेज के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया गया है</u> |**
2. **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज मध्यप्रदेश की पुनर्वास नीति से अधिक सुविधा विस्थापित परिवारों को उपलब्ध कराता है अतः <u>राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज को ग्रामीणों द्वारा स्वीकार किया गया है</u> एवं उनके अनुबंधों का पालन किए जाने हेतु ग्राम विकास योजना बनाई गई है।**
3. **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज तथा विकल्प 2 के अनुसार प्रति परिवार के लिए आवास हेतु रुपए 300000 एवं पुनर्वास हेतु अनुदान रुपए 75000 इकाइयों के पति /पत्नी के संयुक्त खाते में जमा किए जाने का प्रावधान है। जिसके अनुसार हितग्राहियों के खाते राष्ट्रीय कृत बैंक में खोले जाकर राशि जमा किए जाने का प्रावधान रखा गया है।**

आवास निर्माण एवं पुनर्वास अनुदान की राशि विस्थापित परिवार अपनी इच्छा अनुसार आवास निर्माण पर भी कर सकता है ।परंतु यह राशि आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर ही दिया जाना है। विकल्प दो के अनुसार 162 परिवार अथवा यूनिट के लिए विस्थापित परिवार के खाते में प्रगति के अनुसार जमा की जावेगी। इस प्रकार भवन निर्माण एवं अनुदान के लिए रुपए 6.075 करोड़ परिवारों के संयुक्त खाते में जमा किया जाना प्रस्तावित है। उक्त राशि ग्राम विकास योजना में सम्मिलित की गई है।

विकल्प 2 के तहत 162 परिवार द्वारा श्योपुर वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 192 एवं 193 में विस्थापन हेतु अपनी सहमति दी गई है। यह ग्राम विकास योजना 162 परिवारों की गणना के आधार पर तैयार की गई है इस प्रकार 162 परिवारों के पूर्ण विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु ₹243000000 **की आवश्यकता होगी जिसमें से चार करोड रुपए हित गाड़ियों के खाते में पुनर्वास अनुदान एवं आवास**

निर्माण राशि के रूप में जमा होगी तथा शेष राशि ग्रामीणों के आवासीय स्थल कृषि भूमि विकास कार्य एवं अन्य सामुदायिक एवं विकास कार्यों पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार उपयोग की जाएगी इस राशि से विकास योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

1. **<u>विधुतीकरण :-</u>**
   नए विस्थापित होने वाले ग्राम बागचा में नवनिर्मित घरों में विद्युतीकरण, खेतों में ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन बिछाने हेतु तथा घरों एवं खेतों में विद्युत कनेक्शन हेतु कुल1.5876 **करोड रुपए का प्रावधान ग्राम विकास योजना में रखा गया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्राक्कलन बनाया जाएगा।**

2. **<u>पेयजल :-</u> ग्राम बागचा के 162 परिवारों को पेयजल प्रदाय करने हेतु 5 बोर खनन कराये जायेंगे एवं पीएचई के एस्टीमेट अनुसार 1.5 लाख प्रति बोर की दर से राशि का प्रावधान रखा गया है।तथा प्रत्येक बोर पर सोलर पंप** ₹300000 (3 H P) प्रति बोर के अनुमान से प्रस्तावित **किया गया है। अतः पूर्ण कार्य हेतु 25 लाख रु प्रस्तावित किये गए है।यह कार्य समिति द्वारा मध्य प्रदेश शासन के क्रय एवं भुगतान नियमों के अनुसार किया जाएगा।**
3. **<u>पहुंच मार्ग :-</u> ग्राम बागचा से मुख्य मार्ग तक पहुंच मार्ग निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। यह दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। उक्त मार्ग में दो पुलिया का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है जिसकी अनुमानित लागत** ₹2000000 होगी | निर्माण हेतु **1.8 करोड़ की आवश्यकता होगी।**
4. **<u>ग्राम के अंदर सीमेंट कांक्रीट रोड :-</u> ग्राम के अंदर सीमेंट कंकरीट रोड निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी लंबाई 1600 मीटर है इस पर** ₹5000000 का व्यय प्रस्तावित है**। इसका प्रावधान इस योजना में है। यह ग्राम चंबल नहर के समीप बसाया गया है और इसकी बसाहट ग्रामीणों के प्रस्ताव अनुसार की जाएगी। जिसमें 1600 मीटर मैं लंबाई में कांक्रीट रोड बनाया जाना प्रस्तावित है।**
5. **<u>कृषि भूमि का विकास:-</u> ग्राम के 162 परिवारों के लिए 421 हेक्टेयर भूमि का समतलीकरण ,ठूठ उखाड़ना , जुताई एवं मेड़बंदी का कार्य किया जावेगा। जिसमें से 2 हेक्टर प्रति परिवार के मान से 324 हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि (आवासीय प्लॉटओं) सहित ग्रामीणों को प्रदाय की जाएगी। इस प्रकार आवास एवं कृषि प्रयोजन हेतु हेक्टेयर तथा सामुदायिक सुविधा , स्कूल, आंगनवाड़ी खेल मैदान, सड़क हेतु भूमि की आवश्यकता अनुसार कुल 421 हेक्टेयर भूमि पर** ₹244000 प्रति हेक्टेयर की दर से **3.96करोड रुपए का व्यय होगा(भूमि नहर के पास होने एवं थोडा पथरीला क्षेत्र होने से लागत इस प्रकार रखी गयी है) तथा मुरुम रोड (खेतो तक पहुच**

मार्ग) पर 5000000 रु   प्रस्तावित किया गया है। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित करा कर कार्य किया जाएगा।इस कार्य हेतु बाघ परियोजना में दिए गए निर्देशानुसार 35% राशि का विवाह किया जाना प्रस्तावित है परंतु भौगोलिक स्थिति के कारण लगभग 52 प्रतिशत ही प्रस्तावित की गई है।यह राशि अधिकतम है यदि कार्य से राशि शेष रहती है तो इसका उपयोग अन्य ग्राम विकास कार्य में किया जाएगा।

6. **सिंचाई व्यवस्था :- कृषि क्षेत्र में 162 परिवारों के कृषि भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जिसमें ट्यूबवेल (विद्युत मोटर सहित) , डीजल पंप नहर से पानी प्रदाय करने हेतु एवं स्प्रिंकलर पाइप** ₹700000 का व्यय होना प्रस्तावित है| इस प्रकार सिंचाई व्यवस्था हेतु 3.43 **करोड़ का प्रावधान रखा गया है।**
7. **सामग्री परिवहन :- ग्राम वासियों के 162 परिवारों के (मकान तुड़ाई, भराई परिवहन एवं खाली कराई सहित) पारिवारिक संपत्ति का परिवहन बागचा से नया बागचा तक किया जावेगा इस पर 35000 रुपए प्रति परिवार में होगा। इस प्रकार 162 परिवार हेतु 5670000 व्यय होना प्रस्तावित है।**
8. **सामुदायिक व्यवस्थाएं :-**

ग्राम बागचा में सामुदायिक कार्यों के संपादन हेतु निम्न कार्यों का प्रावधान रखा गया है जिस पर अनुमानित व्यय प्रदर्शित है ।विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है:-

सामुदायिक कार्य	राशि
1.सामुदायिक भवन	900000
2. मंदिर निर्माण	200000
3.आंगनवाडी भवन	500000
4.पाठशाला भवन	1000000
5.तालाब निर्माण /भू जल संरक्षण कार्य	1000000
6. शमशान घाट निर्माण	200000
6.ग्राम के अन्दर ग्राफ्टेड फलदार पौधों का क्रय एवं वृक्षारोपण	250000
योग	4050000

9.**कृषि एवं वन्य प्राणियों से सुरक्षा :-ग्राम की कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु सीपीडब्ल्यू कार्य का प्रस्ताव ग्रामीणों द्वारा किया गया है।जिसके हेतु लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीपीडब्ल्यू दीवार प्रस्तावित है। इस पर रुपए 1.62 करोड़ का व्यय योजना में सम्मिलित किया गया है।**

10.**रोजगार के वैकल्पिक साधन एवं मानव संसाधन विकास :-**

रोजगार के वैकल्पिक साधनों का विकास, प्रशिक्षण आदि पर निम्नानुसार व्यय प्रस्तावित है :-

रोज़गार एवं मानव संसाधन हितग्राही मूलक विकास	राशि
1.सौर विधुतिकरण एवं स्ट्रीट लाइट	2500000
2.ग्रामीणों को गैस सिलिंडर	800000
3.खाद बीज क्रय	1944000
4. कौशल विकास प्रशिक्षण	2000000
5.अन्य व्यय (सामग्री रखरखाव तथा सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार, अस्थाई टप्पर बनाना , गेट बनाना एवं पानी की टंकी क्रय , प्रारंभिक स्थिति में टैंकर से पानी प्रदाय हेतु एवं सीमांकन हेतु मुनारा निर्माण एवं समिति के प्रस्ताव अनुसार अन्य कार्य करना।	28210000
योग	35454000

विकल्प II के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य किये जावेंगे :-		
क्रमांक	प्रस्तावित कार्य	प्रस्तावित राशि
1	पूर्ण विस्थापन एवं पुनर्वास (आवास निर्माण एवं अनुदान)	
	1.आवास निर्माण 162*300000 लाख प्रति यूनिट	48600000
	2. अनुदान राशि 162*0.75 लाख प्रति यूनिट	12150000
2	ग्राम विधुतीकरण	15876000
3	पेयजल व्यवस्था 5 हैंडपंप (1 सोलर पंप व्यवस्था सहित)	2500000

4	पहुँच मार्ग निर्माण (3 किमी 2 पुलिया सहित)	18000000
5	सीमेंट कंक्रीट रोड (ग्राम के अन्दर 1600 मी)	5600000
6	मुरुम रोड (खेतो तक पहुच मार्ग)	5000000
7	नयी कृषि भूमि विकास , JCB मशीन से ठूठ उखाड़ना एवं ट्रेक्टर द्वारा मेड बन्दी एवं अन्य कार्य	39600000
8	सिंचाई व्यवस्था नलकूप खनन एवं स्प्रिंकलर पाइप क्रय(नहर से सिंचाई हेतु चैनल निर्माण सहित)	34300000
9	विस्थापितों की आवासीय सामग्री परिवहन	5670000
10	सामुदायिक कार्य	
	1.सामुदायिक भवन	900000
	2. मंदिर निर्माण	200000
	3.आंगनवाडी भवन	500000
	4.पाठशाला भवन	1000000
	5.तालाब निर्माण /भू जल संरक्षण कार्य	1000000
	6. शमशान घाट निर्माण	200000
	6.ग्राम के अन्दर ग्राफ्टेड फलदार पौधों का क्रय एवं वृक्षारोपण	250000
11	फसल सुरक्षा दीवार(ग्राम की सीमा पर फेंसिंग , मुनारा सहित)	16200000
12	रोज़गार एवं मानव संसाधन हितग्राही मूलक विकास	
	1.सौर विधुतिकरण एवं स्ट्रीट लाइट	2500000
	2.ग्रामीणों को गैस सिलिंडर	800000
	3.खाद बीज क्रय	1944000
	4. कौशल विकास प्रशिक्षण	2000000
	5.अन्य व्यय (सामग्री रखरखाव तथा सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रचार प्रसार, अस्थाई टप्पर बनाना , गेट बनाना एवं पानी की टंकी क्रय , प्रारंभिक स्थिति में टैंकर से पानी प्रदाय हेतु एवं सीमांकन हेतु मुनारा निर्माण एवं समिति के प्रस्ताव अनुसार अन्य कार्य करना।	28210000
	योग	243000000
13	विकल्प। (एक मुश्त राशि भुगतान) 29*1500000	43500000
	महायोग	286500000

निष्कर्ष :-

OPTION - I विकल्प 1 अंतर्गत 162 यूनिट हेतु प्रस्तावित राशि - **243000000**

OPTION II विकल्प 2 अंतर्गत 29 यूनिट हेतु प्रस्तावित राशि - **43500000**

योग -286500000

स्थानीय आवश्यकतानुसार एवं परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न बिंदुओं पर होने वाले व्यय का विचलन ग्राम पुनर्वास समिति के प्रस्ताव पर वन मंडल अधिकारी एवं उप मंडल अधिकारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर से अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। शासन के संकल्प अनुसार यदि प्राकलन में कोई राशि शेष बचेगी तो वह ग्राम विस्थापन समिति के खाते में रखी जावेगी जो सामाजिक सुरक्षा राशि में समाहित होगी यदि समिति चाहेगी तो प्रस्ताव के आधार पर बची हुई राशि अन्य विकास कार्यों में उपयोग कर सकेगी।
ग्राम बागचा का विस्थापन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन ग्राम सभा बागचा द्वारा किया गया एवं ग्राम विकास समिति बागचा ने विस्थापन संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
प्राप्त राशि राज्य शासन से प्राप्त राशि है अतः शासन के निर्देशानुसार राशि शासन के व्यक्तिगत खाते में जमा रहेगी तथा कार्य की प्रगति अनुसार समिति के खाते में जमा किया जाकर समिति के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। वर्त्तमान में दावे- आपत्ति की प्रक्रिया प्रचलित है अतः स्थिति को ध्यान रखकर 421 हेक्टेयर भूमि हेतु प्रस्ताव किया गया है।

योजना ग्रामीणों से चर्चा कर निर्मित की गई:-

Bandu
विस्थापन क्षेत्रपाल
बागचा

विस्थापन अधिकारी/
उप-वनमण्डलाधिकारी
कूनो उत्तर
विजयपुर

वन मण्डलाधिकारी
कूनो राष्ट्रीय
उद्यान श्योपुर

सदस्य बागचा विस्थापन
समिति

मांगीलाल
अध्यक्ष विस्थापन
समिति

संलग्न:-

ग्राम सभा का अनुमोदित प्रस्ताव

पात्र हितग्राहियों की सूची

कार्यालय ग्राम-पंचायत धनायचा जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर (म0प्र0)

ग्राम-सभा

प्रस्ताव क्रमांक - 03

ग्राम सभा द्वारा ग्राम बागचा के समस्त परिवार पार्क से बाहर विस्थापन चाहते है

ठहराव - दिनांक - 25-01-2022

आज दिनाँक 25-01-2022 को ग्राम सभा अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम पंचायत धनायचा में ग्राम बागचा के सर्व सम्मति से तय पाया जाता है कि वन ग्राम बागचा के समस्त परिवार पार्क की सीमा से 10 कि० मी० की दूरी के बाहर जिसमें वन परिक्षेत्र श्योपुर के अन्तर्गत बीट रामबाड़ी के वन कक्ष क्र० R.F. 193 एवं बीट डावली पश्चिम के वन कक्ष क्र० R.F. 191, 192 तथा बीट वर्धा के वन कक्ष क्र० P.F. 204 में कूनो वन्य प्राणी वन म०डल श्योपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम बागचा के पुर्नबसाहट हेतु विस्थापन होना चाहते है इस हेतु सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है

सत्यप्रतिलिपि:-

(signature)
सचिव
ग्राम पंचायत धनायचा
ज.पं.विजयपुर जि0श्योपुर (म0प्र0)

(signature)
प्रधान
प्रशासकीय समिति
ग्राम पचायत धनायचा
जन0पचा0विजयपुर जिला श्योपुर

(signature)
सचिव
ग्राम पंचायत धनायचा
ज.पं.विजयपुर जि0श्योपुर (म0प्र0)

पंचगण

अ0 रघुनाथ, अ0 अंजो, अ0 मुन्नी, कन्हैया, दिनेश, अ0 [illegible], मुकेश, अ0 [illegible], सीताराम [illegible], [illegible], निवास मेवत, तेजसिंह, राकेश, अ0 [illegible], मेघनाथ, [illegible], जानकी [illegible], अ0 [illegible], रामखेल, अ0 रामनरेश, अ0 छुन्नू, अ0 राजू, अ0 [illegible]

आज दिनांक 06.03.2022 को ग्राम विस्थापन समिति बागचा की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दिनांक 03.03.2022 को विस्थापन समिति बागचा की आम सभा के आयोजन एवं पारित ठहराव प्रस्ताव के संबंध में ग्राम विस्थापन समिति बागचा की कार्य करणी गठन किये जाने हेतु वन चौकी बागचा पर पूर्व में सूचित किये गये अनुसार समस्त ग्राम वासियों द्वारा एकत्रित हो कर एवं प्रस्ताव पारित कर आम सहमति से निर्णय लिया गया, कि समिति की कार्य करणी में ग्राम विस्थापन समिति का प्रस्ताव श्री सुरेश पुत्र श्री शंकरलाल मीना द्वारा एवं समर्थक श्री सुमन सिंह पुत्र श्री किसन मीना द्वारा किया गया तथा अध्यक्ष पद हेतु श्री मांगीलाल पुत्र श्री मुरारी आदिवासी का प्रस्ताव श्री विश्राम सिंह पुत्र श्री कमजी मीना द्वारा व समर्थक श्री तेज सिंह पुत्र श्री बद्री आदिवासी द्वारा किया गया। ग्राम विस्थापन समिति के अध्यक्ष पद हेतु श्री मांगीलाल पुत्र श्री मुरारी आदिवासी का चुनाव निर्विरोध किया गया। समिति की बैठक के दौरान आम सहमति से निर्विरोध कार्य करणी का गठन किया गया। ग्राम विस्थापन समिति बागचा की आम सभा के दौरान श्री मान वन मण्डलाधिकारी महोदय कुनो व.म. श्योपुर, श्री मान उपवन मण्डलाधिकारी महोदय कुनो उत्तर विजयपुर, श्री मान पशु चिकित्सक महोदय कुनो व.म. श्योपुर, श्री मान वन परिक्षेत्राधिकारी महोदय ओछापुरा एवं वन चौकी बागचा स्टाफ, तथा ग्राम पंचायत धनायचा सरपंच श्री काशीलाल आदिवासी एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा निर्विरोध ग्राम विस्थापन समिति का गठन किया गया। आम सभा की अध्यक्षता श्री मान वन मण्डलाधिकारी महोदय कुनो श्योपुर के द्वारा की गई आम सभा के दौरान नियमानुसार ग्राम विस्थापन समिति का गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव

दिनांक 03.03.2022 को ग्राम विस्थापन समिति बागचा की आम सभा के दौरान पारित प्रस्ताव के उपलक्ष्य में ग्राम विस्थापन समिति की कार्य करणी गठन हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

ठहराव

आज दिनांक 06.03.2022 को आयोजित ग्राम सभा बागचा की नवीन ग्राम विस्थापन समिति की कार्यकरणी का गठन निम्नानुसार सर्व सम्मति से निर्विरोध किया गया।

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री मुरारी आदिवासी (अध्यक्ष) मांगीलाल
2. श्री मुरारी पुत्र श्री रामनिवास आदिवासी

आज दिनांक 03.03.2022 को ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष विस्थापन के संबंध में चर्चा की गई एवं पात्र सूची सभी ग्राम वासियों के समक्ष सुनाई गई तथा सहमति पर पात्र सं. दो सभी उपस्थित ग्राम वासियों को सुनाया गया। तथा विस्थापन हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

D [signature]

SDO KUNO (S/N) VIJAYPUR/POHARI

03/03/22

2) [signature] 3/3/22
R.A.
KNP

3) Bandu
03/03/22 R.O. odlbapur

4) राजू गुर्जर
बैरू
कमल
भानुसिंह
तेजसिंह
सीताराम
रामसिंह

अ.नि. रामप्रसाद
मांगीलाल
अ.नि. [illegible]
फूलसा

काशीराम
विश्राम सिंह
सुरेश
दिनेश राठौर
राजू अ.नि. रघुवीर
रामेश्वर
अमरसिंह
लालाराम
अ.नि. रामचरण
मुकेश राठौर
बद्री

विजय
मुकेश
दिनेश
पवन
बाबूराम
हरीसिंह

Date

Page

मोहल्ला कोलि — प्रा०वि०

सूरज

कृष्ण

सरदार
चोपड़ा

[illegible]

भोलू

रेखू

दिनेश

लोकेश

आ०वि०
लड़्या

हसू

(53) श्री वल्लू पुत्र श्री बलेता आदिवासी

(54) श्री रघुनाथ पुत्र श्री झींगा आदिवासी

(55) श्री लालाराम पुत्र श्री बच्चू आदिवासी

(56) श्री मति सनवाई w/o श्री रामलाल भील

Gurubal. VDS 06/03/22 UKNO

Ambika SDO KUNO (S/N) 6/03/22

DFO Kuno 6/3/22

1) रघुवीर बन्धु RFO. Bandhu 06/03/2022

(2) रामजीलाल पाराशर पटवारी Ramlal

(3) दिलीप कुमार आदिवासी वनरक्षक दिलीप

(4) श्री कालीलाल सरपंच कालीलाल

(5) श्री वल्लू S/o श्री वल्लू

(6) श्री लालाराम लालाराम

(7) श्री: विश्राम सिंह विश्राम सिंह

(8) श्री राजू कुमार राजू कुमार

(9) कृष्णानन्द शर्मा कृष्णानन्द

(10) श्री लालाराम लालाराम

(11) श्री सीताराम सीताराम

Date
Page

(27) श्री राकेश — राकेश

(28) श्री दिनेश — दिनेश

(29) श्री राम स्वरूप

(30) श्री धनपाल

(31) श्री मुकलू

(32) श्री मांगीलाल — मांगीलाल

(33) श्री शनिदेपाल — शनिदेपाल

(34) श्री हुक्मी

(35) श्री दिनेश शर्मा — दिनेश शर्मा

(36) श्री हेरेत — हेरेत

(37) श्री जगना

(38) श्री लाल — श्रीलाल

(39) श्री राजू

(40) श्री गगन — गगन

जामपाल

(41) श्री जामपाल — आनसिंह

श्री आनसिंह

(27)	श्री राकेश	राकेश
(28)	श्री दिनेश	दिनेश
(29)	श्री रामस्वरूप	
(30)	श्री धनपाल	
(31)	श्री मुकन्दू	
(32)	श्री मांगीलाल	मांगीलाल
(33)	श्री भगीरथमल	[illegible]
(34)	श्री कुन्जी	
(35)	श्री दिनेश राठौर	दिनेश राठौर
(36)	श्री हरि	हरि
(37)	श्री जगन	
(38)	श्री लाल	श्रीलाल
(39)	श्री राजू	
(40)	श्री मगन	मगन
		रामपाल
(41)	श्री जामफल	
		आशीष
(42)	श्री आशीष	

(12)	श्री राजू	राजू
(13)	श्री खेताराम	खेताराम
(14)	श्री बबलू	बबलू
(15)	श्री गुनदे	
(16)	श्री रघुनाथ	
(17)	श्री सुरजी	
(18)	श्री चिन्टू	
(19)	प्रकाश	
(20)	श्री सुरता	
(21)	रामलाल	रामलाल
(22)	श्री सुगना	सुगना
(23)	श्री शंकर	
(24)	श्री दिनेश	
(25)	श्री महेश	महेश
(26)	श्री दिनेश	

Date
Page

(58)	श्री कान्ता	कान्ता
(59)	श्री सुरेश	सुरेश
(60)	श्री सरदार	सरदार
(61)	श्री जितेन्द्र	जितेन्द्र
(62)	श्री अशोक	अशोक
(63)	श्री गुलाब सिंह	
(64)	श्री समेला	समेला
(65)	श्री हरीसिंह	
(66)	श्री गुलाब	गुलाब
(67)	श्री सौंजी	
(68)	श्री शेरू	
(69)	श्री जगराम	
(70)	श्री शेरसिंह	
(71)	श्री राकेश	
(72)	श्री राकेश राठौर	राकेशराठौर
(73)	श्री नरेश	
(74)	श्री नवदी	

23/11/2019

Date
Page

आज दिनांक 03.03.2022 को ग्राम [illegible] में उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष विस्थापन के संबंध में बैठक की गई एवं पात्र सूची सभी ग्राम वासियों के समक्ष सुनाई गई तथा सहमति पत्र पढ़ कर सभी उपस्थित ग्राम वासियों को सुनाया गया। तथा विस्थापन हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

1)

SDO KUNO (S/N) VIJAYPUR/POHARI
03/03/22

2)
V.A. 3/3/22
KNO

3) Bandu
03/03/22 R.O. Adbarpur

4) राजू गुर्जर

कैलाश
कमल
भानुसिंह
नेपालसिंह
सीताराम
रामसिंह
अ० रामप्रसाद
मांगीलाल
अ० शिवलाल
पूरनसिंह

काशीराम
विश्राम सिंह
सुरेश
दिनेश राठौर
राजू अ० रघुवीर
रामेश्वर
अमरसिंह
लालाराम
अ० रामचरण
मुकेश राठौर
कमल

विजय
मुकेश
किशन
पप्पू
भरत राम
वीरसिंह

23/11/2019

आज दिनांक 03.03.2022 को ग्राम [illegible] में [illegible] की [illegible] विस्थापन के संबंध मे बैठक [illegible] की गई एवं [illegible] सभी ग्राम वासियों के [illegible] ग्राम वासियों को [illegible] गया। तथा विस्थापन हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

1) D. [signature]
SDO KUNO (S/N) VIJAYPUR/POHARI
03/03/22

2) [signature] 03/03/2022

3) Bandar
03/03/22 R.O. [illegible]

4) राजू गुर्जर
बेतन
कप्तान
भानुसींह
तेजसिंह
रतीराम गुर्जर
रामसिंह

अंग. रामजयाले

मॉंगीलाल

अंग. [illegible]

फूलवा

कालीचरन
कृपाराम सिंह
गुलाब
दिनेश राठौर

राजू अंग. सुखिया

रामेश्वर
अमरसिंह

लालाराम

अंग. [illegible]

मुकेश राठौर
बद्री

[illegible]
किशन
मुकेश
किशन
[illegible]
कौशिंह